"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015—— कार्तिक 22, शक 1937

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007. — राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य
3.	माननीय श्री न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 05-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F- 4-72/Two/Home-C/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely :-

1.	Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwakar, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007. — स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य

3.	माननीय श्री न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 05-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F- 4-72/Two/Home-C/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely :-

1.	Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwakar, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007. — विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. - अध्यक्ष

2. माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. - सदस्य

3. माननीय श्री न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर. - सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 05-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F- 4-72/Two/Home-C/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely :-

1. Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwakar, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur. - Chairman

2.	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007. — चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य
3.	माननीय श्री न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 05-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F- 4-72/Two/Home-C/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Black-marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely :-

1.	Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwakar, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य
3.	माननीय श्री न्यायमूर्ति मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, दिनांक 05-11-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th November 2015

NOTIFICATION

No. F- 4-72/Two/Home-C/2007. — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely :-

1.	Hon'ble Mr. Justice Pritinker Diwakar, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Chairman
2.	Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member
3.	Hon'ble Mr. Justice Manindra Mohan Shrivastava, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	-	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.